



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042022-234907
CG-DL-E-06042022-234907

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1530]
No. 1530]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2022/चैत्र 14, 1944
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2022/CHAITRA 14, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2022

का.आ. 1591(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 515(अ), दिनांकित 3 फरवरी, 2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमशः कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के अंतर्गत क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा, अर्थात्:-

179ए	तमिलनाडु राज्य में सलेम के निकट रारा-79 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर अयोथियपट्टनम, पप्पीरेडुपट्टी, हारुर, उथानगरई, तिरुपाथुर को जोड़ने वाला और वनियांबदी के निकट रारा-48 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	तमिलनाडु राज्य में पूरा राजमार्ग
------	--	----------------------------------

[फा.सं. एनएच-14013/10/2022-पीएंडएम]
राजेश गुप्ता, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 515(अ), दिनांकित 3 फरवरी, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2022

S.O. 1591(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 515(E), dated the 3rd February, 2021, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

179A	The highway starting from its junction with NH No. 79 near Salem connecting Ayothiappattinam, Pappireddipatti, Harur, Uthangarai, Thirupathur and terminating its junction with NH-48 near Vaniyambadi in the state of Tamil Nadu.	Entire NH in the state of Tamil Nadu
------	--	--------------------------------------

[F. No. NH- 14013/10/2022-P&M]
RAJESH GUPTA, Director

Note: -The principal notification was published vide number S.O. 515(E), dated the 3rd February, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2022

का.आ. 1592(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 22 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
“22	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45 (नई रारा सं. 32, 132, 38, 83 और 183) [चेन्नै – त्रिची – डिंडीगुल खंड के किमी 27.8 से किमी 421.650 और किमी 2.750 से किमी 73.40 (डिंडीगुल – थेनी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 45ए (नई रारा सं. 32 और 332), सं. 47 (नई रारा सं. 544) किमी 141/0 से आरंभ होने वाला और किमी 171.200 पर पुनः मिलने वाला कोयंबटूर बाइपास, सं. 49 (नई रारा सं. 87 और 85), [किमी 5.000 से 118.795 किमी तक (मदुरै – परमाकुडी – रामनाथपुरम खंड) और किमी 36.00 से किमी 64.00 और किमी 80.00 से किमी 96.00 (मदुरै – थेनी – टीएन/केरल सीमा खंड तक खंड को छोड़कर)], सं. 67 (नई रारा सं. 83, 81 और 181) [किमी 0.000 से किमी 218.200 (नागापटिनम – तंजावूर – त्रिची – करूर खंड) और [किमी 323.850 से किमी 380.000 (कंगायमपलयम – मेतूपलयम खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 207 (नई रारा सं. 648), सं. 208 (नई रारा सं. 744) [किमी 163.000 से किमी 231.600 (तिरुमंगलम – राजापलयम खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 209 (नई रारा सं. 83) [किमी 0.000 से किमी 35.822 (कमलापुर – ओडुनचतरम खंड) और किमी 29.000 से किमी 74.380 (ओडुनचतरम – मदाथुकुलम खंड) और किमी 74.380 से किमी 116.950 (मदाथुकुलम – पोल्लाची खंड) और किमी 23.230 से किमी 30.900 (ओडुनचतरम	तमिलनाडु राज्य सरकार

बाइपास) और किमी 123.550 से किमी 150.400 (पोल्लाची –कोयंबटूर खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 179ए [किमी 00.00 से किमी 35.600 (सलेम – ए. पल्लीपट्टी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 210 (नई रारा सं. 336 और 536) [किमी 10.000 से किमी 174.000 (त्रिची – करईकुडी – देवाकुट्टई - रास्ता – करईकुडी - रामनाथपुरम खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 219 (नई रारा सं. 42), सं. 226 (नई रारा सं. 136) (पेरांबलूर – पेराली – कीलापालुर – अरियालुर – कुन्म – तिरुवईयारू – कांडियूर – तंजावूर खंड), सं. 230 (नई रारा सं. 85), सं. 234 (नई रारा सं. 75 और 38), सं. 381, नई रारा सं. 383 (डिंडीगुल – नाथम – कोट्टमपट्टी खंड), नई रारा सं. 532 के उतने भाग जो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं।	
--	--

[फा.सं. एनएच-14013/10/2022-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन सं. 1261(अ), दिनांकित 22 मार्च, 2022 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2022

S.O. 1592(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“22	So much of National Highway No. 45 (New NH No. 32, 132, 38, 83 and 183[excluding from Km 27.8 to 421.650 of Chennai-TrichyDindigul Section and from Km 2.750 to Km. 73.40 (Dindigul-Theni Section], No. 45A (New NH No. 32 and 332), No. 47 (new NH No. 544) Coimbatore bypass commencing from Km 141/0 and rejoining at Km 171.200, No.49 (New NH No. 87 and 85) [excluding from Km. 5.000 to Km. 118.795 (Madurai-Paramakudi-Ramanathapuram section) and from Km 36.00 to Km 64.00 and from Km 80.00 to Km. 96.00 (Madurai-Theni- TN/KL border section)], No. 67 (New NH No. 83, 81 and 181) [excluding from Km. 0.000 to Km. 218.200] (Nagapatinam-Thanjavur-Trichy-Karur section) and [excluding from Km 323.850 to km 380.000 (Kangayampalayam- Mettupalayam section)], No. 207 (New NH No. 648), No. 208 (New NH No. 744) [excluding from Km 163.000 to Km 231.600 (Thirumangalam-Rajapalayam Section)], No. 209 (New NH No. 83) [excluding from Km. 0.000 to Km 35.822 (Kamalapuram - Oddanchatram section) and from Km. 29.000 to Km 74.380 (Oddanchatram -Madathukulam section) and from Km 74.380 to Km 116.950 (Madathukulam – Pollachi section) and from Km. 23.230 to Km 30.900(Oddanchatram Bypass) and from Km 123.550 to Km 150.400 (PollachiCoimbatore Section)], New NH No. 179A [excluding from km 00.00 to km 35.600 (Salem-A.Pallipatty Section)], No. 210 (New NH No. 336 and 536) [excluding from km. 10.000 to km. 174.000 (Trichy- Karaikudi-Devakottai- Rastha- Karaikudi- Ramanathapuram section)], No. 219 (New NH No. 42), No. 226 (New NH No. 136) (Perambalur- Perali- Keelapalur- Ariyalur- Kunnam-Thiruvaiyaru- Kandiyur-Thanjavur section), No. 230 (New NH No. 85), No. 234 (New NH No. 75 and 38), No. 381, New NHNo. 383 (Dindigul –Natham –Kottampatty	State Government of Tamil Nadu”

	section), new NH No. 532 new as are situated within the State of Tamil Nadu.	
--	--	--

[F. No. NH- 14013/10/2022-P&M]
RAJESH GUPTA, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1261 (E), dated the 22nd March, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2022

का.आ. 1593(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3320(अ), दिनांकित 13 अक्टूबर, 2017 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तमिलनाडु राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा:-

“नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 179ए (तमिलनाडु राज्य में सलेम के निकट रारा-79 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर अयोथियपट्टनम, पप्पिरेड्डीपट्टी, हारुर, उथानगरई, तिरुपाथुर को जोड़ने वाला और वनियांबदी के निकट रारा-48 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग)”

उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित प्रविष्टियों के लिए:-

“नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 136 (तमिलनाडु राज्य में तंजावुर के निकट रारा-36 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर तिरुवैयारू, कुन्नाम, पेरेली, पेरांबलुर बाइपास नादुवलुर, थोडावुर, कृष्णापुरम, वीपनथट्टई को जोड़ने वाला और आथुर बाइपास पर रारा-79 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग)”

निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 136 (आथुर – पेरांबलुर खंड)”

[फा.सं. एनएच-14013/10/2022-पीएंडएम]
राजेश गुप्ता, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 3320(अ), दिनांकित 13 अक्टूबर, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2022

S.O. 1593(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.3320(E), dated the 13th October, 2017, namely:-

In the said notification, the following entries in respect of the State of Tamil Nadu, shall be omitted:-

“new National Highway No. 179A (The highway starting from its junction with NH No. 79 near Salem connecting Ayothiappattinam, Pappireddipatti, Harur, Uthangarai, Thirupathur and terminating its junction with NH-48 near Vaniyambadi in the state of Tamil Nadu)” In the said notification, for the following entries:-

“new National Highway No. 136 (The highway starting from its junction with NH-36 near Thanjavur connecting Thiruvaiyaru, Kunnam, Pereli, Perambalur bypass Naduvalur, Thodavur, Krishnapuram, Veepanthattai and terminating its junction NH 79 at Athoor bypass in the state of Tamil Nadu)”

The following entries shall be substituted:-

“new National Highway No. 136 (Athoor- Perambalur Section)”

[F. No. NH- 14013/10/2022-P&M]
RAJESH GUPTA, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 3320(E), dated the 13th October, 2017.